

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण)

पत्रांक: - ब्लाडा (लेखा) 02/15/2022

360
आदेश

/पटना, दिनांक 18 अगस्त, 2025

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-01, औरंगाबाद का 3107 दिनांक 13.08.2025 के आलोक में उक्त कार्य प्रमंडल को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय बिहार विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमान्यता राशि के अधीन निम्न प्रकार से राशि आवंटित किया जाता है:-

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	वर्तमान में कुल आदेयता / दायित्व की राशि		पूर्व में विमुक्त राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिशत्	आधियाचित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि
1	2		3	4	5	6	7
2022-23	MLA	1800.00	1656.497	1411.78243	85.22	500.00	467.345
	MLC	323.842					
	Total	2123.842					
2023-24	MLA	2400.00	1639.236	1392.43038	84.94	500.00	500.00
	MLC	119.06					
	Total	2519.06					
2024-25	MLA	2400.00	1200.00	1197.17389	99.76	500.00	500.00
	Total	2400.00					
कुल							1467.345

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹2123.842 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹1762.78886 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹339.81472 लाख रुपये, एस0टी0 मद ₹21.23842 लाख रुपये माना जाय।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹2139.236 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹1796.95824 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹342.27776 लाख रुपये माना जाय।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹1700.00 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹1428.00 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹272.00 लाख रुपये माना जाय।

उपर्युक्त विवरणी के स्तम्भ-7 में अंकित राशि यथा 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए कुल राशि ₹1467.345 लाख (चौदह करोड़ सड़सठ लाख चौतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-01, औरंगाबाद को CFMS के माध्यम से राशि अंतरण करने का आदेश दिया जाता है।

शर्त:-

- (1) आवंटित की जा रही राशि वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए है, अतएव इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर ही व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

- (2) आवंटित राशि के विचलन की स्थिति में संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- (3) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2025-26 तक आवंटित राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र **BTC Form 27C** एवं **27C1** में तैयार कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (4) उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि वित्तीय वर्ष के लिए वांछित राशि (यथा आवंटित राशि का **60%** राशि) से कम होने की स्थिति में उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान्यता की अवशेष राशि विमुक्त नहीं किया जायेगा।
- (5) इस आवंटित राशि का व्यय प्रासंगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जायेगा।

ह0/-

(रणजीत कुमार)

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,

- ज्ञापांक:- ब्लाडा (लेखा) 02/15/2022 **360** /पटना, दिनांक **18** अगस्त, 2025
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. प्रशासी पदाधिकारी, (MKVY प्रभारी), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 4. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 5. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 6. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 7. जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 8. लेखा शाखा, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को CFMS के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-01, औरंगाबाद को राशि **₹1467.345** लाख (चौदह करोड़ सड़सठ लाख चौतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र **Fund Transfer** करने हेतु प्रेषित।
 9. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-01, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त राशि GEN, SC एवं ST मद के अनुसार ही राशि **CFMS** के माध्यम से खर्च करना सुनिश्चित करे।
 10. श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी